

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक मोहनवीर सिंह लिखित कार्य क्रम 2019232016692

अवेदन संख्या : 201900822014952

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2019-06-12 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम सम्राट मिश्रा

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000000 / 9054000


1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20000
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. गुड्यार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20060

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2019-06-12 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-06-12 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



11505/19



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP06191569241066R
Certificate Issued Date	: 11-Jun-2019 01:23 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshell01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0107375238009207R
Purchased by	: TIMES INFRA DEVELOPERS LLP
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA NO.990 AND OTHER AREA-1.2575 HEC. SITUATED AT VILL -MASTEMAU, PARGANA AND TEH-MOHANLALGANJ, LKO,
Consideration Price (Rs.)	: 1,00,00,000 (One Crore only)
First Party	: PAPPU SON OF LALA
Second Party	: TIMES INFRA DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Paid By	: TIMES INFRA DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 7,00,000 (Seven Lakh only)



STAMP PAPER USED

Sub Registrar (Mohanlalganj)  
Lucknow U.P.

-----Please write or type below this line-----



Times Infradevelopers LLP

*Aditya*


Authorised Signatory



SIR 0001153688

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



10/1/2020

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
पहचान पत्र  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : पप्पू  
Elector's Name : Pappu  
पिता का नाम : लाला  
Father's Name : Lala  
लिंग / Sex : पुरुष Male  
1.1.2001 की आयु : 24  
Age on 1.1.2001



५८७


पहचान पत्र संख्या :- BXQ1508498

पता  
म.सं. : ६५  
गली/मोहल्ला : पुरसेनी  
ग्राम/नगर : पुरसेनी  
थाना : मोहन लाल गंज  
जिला : लखनऊ  
Address  
H.No. : 95  
Surt/Mohalla : Puraseni  
Vill/Town : Puraseni  
PoliceSm. : Mohan Lal Ganj  
Dist. : Lucknow

निर्वाचक रजिस्ट्रार के अधिकारी के  
हस्ताक्षर की अनुकृति  
निर्वाचन क्षेत्र 106-मोहनलालगंज  
Facsimile Signature of  
Electoral Registration Officer  
for 106- Mohanalalaganj

स्थान : लखनऊ दिनांक : 31-08-2001  
Place : Lucknow Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान  
पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।  
This card can be used as an Identity Card  
under different Government Programmes. 11N/550



शुद्धता विज्ञापन

INCOME TAX DEPARTMENT


HAPPY

LATA


2024/2025

ACCOUNT NUMBER

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



1000



आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

TIMES INFRA DEVELOPERS LLP

22/10/2014

Permanent Account Number


AAJFT6214C



5 021226 5

Times Infra Developers LLP

Authorized Signatory





**LUCKNOW BAR ASSOCIATION**

**LAWYER'S PROFESSIONAL IDENTITY CARD**

Enrolment No : U.P. 04324/2008  
 Member's Name : **SAMRAT MISHRA**  
 Father's Name : Late K. L. Mishra  
 Date of Birth : 04-08-1980  
 Address : 555Ga/148, Subhash Nagar,  
 Alambagh, Lucknow.  
 Ledger Number : S-583  
 Mobile Number : 9453220710



Jitendra Singh Yadav "Jeetu"  
Gen. Secretary



Timee Infra Developers LLP

Authorized Signatory





भारत सरकार  
Government of India

दिनांक  
Date:  
जन्म तिथि: DOB: 01/01/1977  
पुरुष / Man



3746 3586 9983

मेरा आधार, मेरी पहचान



दिनेश

दिनेश





भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता: आनंदज फौजराव, 3E  
शान-हरदीप फाउन्डेशन इन्स्टीट्यूट  
जालंधर, जलंधर जंक्शन पटन  
222001

Address: E.C. Fawzer, 3E  
Shan-Hardeep Foundation Institute  
Jalandhar, Jalandhar Urban District, 222001

3746 3586 9983





**LUCKNOW BAR ASSOCIATION**  
LUCKNOW

www.lucknowbarassociation.org Mob: 9515150095

**LAWYER'S PROFESSIONAL IDENTITY CARD**

Member's Name: Sandeep Kumar Singh  
 Father's Name: Mr. C.R. Singh  
 Date of Birth: 20.06.1977  
 Address: 33B/71D(44F), Triveni Nagar, Lucknow.  
 Enrollment No: UP/5237/2003  
 Ledger No. 4-358

*(Seal: LUCKNOW BAR ASSOCIATION)*

★ Mr. Anand Prasad Tiwari  
Gen. Secretary  
Lucknow Bar Association, Lucknow







मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू

बनाम

सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य रू० 90,54,000/- (नब्बे लाख चौरब्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू० 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू० 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू० 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू० 1,00,00,000/- रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व 30प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे०, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे०, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे०, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे० का भाग 0.163हे० व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे० का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे० कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो







तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं प्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सकिल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।



व्यक्तिगत प्रतिनिधि  
22/5/19


(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.






BULLERX  
Uttar Pradesh

खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सरु मऊ	ग्रामना : (मोह नरालावा)	तहसील : मोहनलालावा	जमसद : लखनऊ	फसली वर्ष : 1424-1429	भाग : 1	खता संख्या : 00148	टिप्पणी
खतेर का नाम / बिछा पति संजक का नाम / निवास स्थान				खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हि.)	अदेश	
श्रेणी : 1-क / भूमि को संरक्षणीय भूमिद्वारा कैअधिकार में हो।				990	0.6290		
पचा / लाला / मुसैनी				1	0.6290		
योग							

कृपया नकल खतेर की प्रतिलिपि (प्रतिलिपि (गुटा) के बाद प्रस्त विवरण (भू-नकल) ) हेतु खसरा संख्या पर किराक करें  
Disclaimer: उक्त डॉकूमेंट मात्र अस्तित्वकारी है, कर्तरीक कानून के अन्तर्गत सही रूप में ही प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।  
Software Powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.






**खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)**


प्रारंभ का नाम : भरो भद्र	प्राकार : (भारतसंस्था)	वर्षांक : भारतसंस्था	वर्षांक : लखनऊ	फसली वर्ष : 1424-1429	भाग : 1	खाता संख्या : 00146
खतबे का नाम / भिन्न भेद संकेत का नाम / विवरण स्थान		खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हि.)	अवधि	टिप्पणी	
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संवर्धन भूमि को केवलिकर में है।						
एक / ताला / सुसेनी		1070	0.0400			
ये		1	0.0400			

यह सारा उक्त खतबे की प्रतिलिपि (भूखंड (प्लॉट) के बाद भारत/विदेशी/अन्य) हेतु प्रमाण संख्या पर क्लिक करें  
Disclaimer: उक्त अंकन के माध्यम से अंकन केवलिकर केन्द्र में अंकन की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।  
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.









**खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)**

आका नाम : सरत मठ      संचालक : (विद्यमान)      तारीख : मेहरारामपुर      चरण : लखनऊ      फरजी बर्ष : 1424-1429      भाग : 1      खाता संख्या : 00147

खातेका नाम / विद्यारी संकेतका नाम / विवरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अंश	टिप्पणी
---	-------------	-----------------	-----	---------

शर्त : 1-क / मूखी बरे संकर्मकर भूमिपुत्री के अंशकर में हो।

पत्त / ताला / मुसेरी	1076	0.1760		
श्रीमती एसवी / श्री सुखा / दि.अम				
श्रीमती अम्बा / श्री सुखा / दि.अम				
शेरा	1	0.1760		

कृपया उक्त खते की प्रतिलिपि (खुदद (खुद) के बाद मूल विवरण (N-नक्शा) हेतु खसरा या आका किलक करें

Disclaimer: उक्त अंशके भाव अवलोकनार्थ है। तस्मिन् कामयत केन्द्र खसरा की.एस.ए. नोकरगार केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।  
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





**खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)**

खाता नाम : भूत मंडू      पुराना : (पिछे नकारा संख)      लक्ष्मील : मोहनलाला संख      चनाद : लखनऊ      फसली बर्ष : 1424-1429      भाग : 1      खाता संख्या : 00258

खालेदर का नाम / सिद्ध भूति संसक का नाम / सिवास स्थान

खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हि.)	अद्वैत	दिपणी
-------------	-----------------	--------	-------

श्रेणी : 1 का / भूति के संकरासंख भूतिधरो के अधिकार में है।

नेपाल सिवास कम्प्युटर प्रा. लि. / द्वितीय तल एरिडको बैचर 1 विभागाड गोगरीनगर लखनऊ

दुसरा अद्वैत मशीन कन्ट्रोल / स्व. डा. एस. सी. मथुर / 23 अलोकेसुडी रवीन्द्रलाली बैचबाद रोड लखनऊ

गुलशन कुमार दुसरा पंजी. अद्वैती / . / .

मोहिन शारिदा / वेद प्रकश शारिदा / वी. 2/347 से ए. सी. लालपुर रोड योजना एस. वी. अई कालोनी लखनऊ

मनेन कुमार / श्रीकाल / 68 विष्णुसुडी चर्च रोड लखनऊ

दुसरा पंजी. मोहिन शारिदा / वेद प्रकश शारिदा / 2/347 से ए. सी. लालपुर रोड बानकेशुभ लखनऊ

सत्येन्द्र कुमार / चणदीब प्रसाद / 4/2 टाईटर 4 सी. डब्ल्यू. डी. कालोनी बेल रोड लखनऊ

योग	1	0.6900	
-----	---	--------	--



कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (सूखंड (गाटा) के बाद गुलशन / सिवास / भू-संख्या ) हेतु खसरा संख्या पर निलोक करें  
 Disclaimer: उक्त अद्वैतके मातृ अखरोकसंख्या है, तबतबान कमायूटर केंद्र सी. एस. सी./सोफ्टवेयर केंद्र से उद्वरण का प्रमाणित प्रति में की जा सकती है।  
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



**खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)**

ग्राम का नाम : मरुते मऊ      परतना : (पिंडे-नरनागांव)      तहसील : मोहनलालगांव      वनसद : लखनऊ      फसली बर्ष : 1418-1423      भाग : 1      खाता संख्या : 00401

खेतदार का नाम / फिदा परिसंकेत का नाम / निवास स्थान

श्रेणी : 1-क / मृत्ति को संकल्पनाय भूमिदाता के अधिकार में ही।

सुदर / गुलाब / सि. भिबापुर उअग्रम

खेता संख्या	क्षेत्रफल (हि.)	अवधि	टिप्पणी
990 1048/1198	0.6290 0.1340	1418क/आ.मह.मोहनलालगांव सं.1212/ 09-10/18.8.10 गाटा सं.1048/1198/0.1340 मा.गु.60ख से विकेता सुदर पुत्र गुलाब सि.भिबापुर म.मस्तोबाऊ का नाम खारिज करके केता किलकचन्द बौद्ध पुत्र आ.ए.ए.लाल सि.636/23 गार्डीनगर तकरोही लखनऊ का नाम बतौर स.पु. द्वारा बैनामा दि.16.2.10      दर्ज      ही। ह.र.का/8.10.10	
<p>1418क/आ.मह.मोहनलालगांव सं. 2624/10-11/ 8.9.11 खाता सं. 990/0.6290 का 1/2 भाग रकबा 0.08880हे.मा.गु.60ख से विकेता सुदर पुत्र गुलाब सि.भिबापुर म. ग्राम का नाम पृथक करके केता मोहन सुमार पुत्र बीकल सि. 68 बिबलुली चर्च रोड लखनऊ का नाम बतौर स.पु. द्वारा बैनामा दि. 29.6.11 अंकित</p> <p>ही। ह.र.का/16.9.11</p>			



## खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

पत्र का क्रम : फरवरी २००५

प्राप्तकर्ता : (मोहनलालराव)

वसति स्थान : मोहनलालराव

वसति स्थान : लखनऊ

फरवरी वर्ष : 1418-1423

भाग : 1

खाता संख्या : 00401


1419फ./आ.तह. मोहनलालराव वार्ड सं.  
2018/10-11/ 8.9.11 बहालगी  
खाता सं. 29 पर अंकित है।  
र.र.का./16.9.11

1419फ./आ.तह.मोहनलालराव वार्ड  
सं.409/11-12/ 22.10.11खाता  
सं.401 गाटा सं.990/0.629 संपूर्ण  
अद्वेष दि.8.9.11 में आंशिक संशोधन  
किया जाता है।दर.का./1.11.11

1419फ./आ.तह. मोहनलालराव वार्ड सं.  
2473/10-11/8.9.11 बहालगी खाता  
सं. 309 पर दर्ज है।दर.का./19.7.14

अद्वेषा तह.मोहनलालराव वार्ड  
सं.771/21.12.15 गाटा  
सं.990/0.626 संपूर्ण व  
1070/0.040 संपूर्ण व  
1186फि./0.253 संपूर्ण व  
1076/0.176 का भाग रकबा  
0.163है. व 1118/0.690 का 1/4  
भाग रकबा 0.1725है. कुल 5किता  
रकबा 1.2575है. भा.ग.60ख से विक्रीका  
मोहिर पुत्र वेद प्रकाश नि.1763

आय बस्ती कोदता मुबारकपुर दिल्ली का  
नाम खारिज करके बैला पप्प पुत्र लाला  
नि.पुसेनी का नाम जारिसे बैनामा  
दि.3.11.15 दर्ज हो।दर.का./  
10.3.16





(2)

विक्रय मूल्य	—रु0 1,00,00,000/—
मालियत	—रु0 90,54,000/—
स्टाम्प	—रु0 7,00,000/—
परगना	— मोहनलालगंज

### विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम — मस्तेमऊ
4. सम्पत्ति का विवरण — आराजी खसरा संख्या-990, 1070, 1186मि. (सम्पूर्ण), खसरा संख्या-1076 व 1118 का मिनजुमला
5. मापन की इकाई — हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 1.2575 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति—(परिशिष्ट के अनुसार)  
— सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)— नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार : — कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन — X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य — X
12. निर्माण का वर्ष — X
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है— नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 1,00,00,000/— रुपये

### खसरा संख्या-990 की चौहद्दी

- पूरब — भूमि खसरा संख्या-1014 (बक्कास)  
पश्चिम — भूमि खसरा संख्या-989  
उत्तर — भूमि खसरा संख्या-1009, 1010 (बक्कास)  
दक्षिण — भूमि खसरा संख्या-992

### खसरा संख्या-1070 की चौहद्दी

- पूरब — भूमि खसरा संख्या-1069  
पश्चिम — भूमि खसरा संख्या-1071  
उत्तर — भूमि खसरा संख्या-1059 चक मार्ग  
दक्षिण — भूमि खसरा संख्या-1073



Times Infradevelopers LLP

Authorized Signatory





(3)

खसरा संख्या-1186मि. की चौहद्दी

- पूरब - भूमि खसरा संख्या-1189  
पश्चिम - चक मार्ग  
उत्तर - भूमि खसरा संख्या-1185 (नाली)  
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-1187

खसरा संख्या-1076 की चौहद्दी

- पूरब - भूमि खसरा संख्या-1065  
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या-1078  
उत्तर - भूमि खसरा संख्या-1075  
दक्षिण - चक मार्ग

खसरा संख्या-1118 की चौहद्दी

- पूरब - चक मार्ग  
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या-1119  
उत्तर - भूमि खसरा संख्या-1117  
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-1184 चक मार्ग

प्रथम पक्ष की संख्या (1)                      द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

पणू पुत्र लाला, निवासी-ग्राम-पुरसेनी, तहसील-मोहनलालगंज,  
जिला-लखनऊ, 3090।

क्रेता का विवरण

टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी, कार्यालय पता-जी0एफ0-10,  
सिटी सेन्टर-2, चाईना बाजार रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी  
सम्राट मिश्रा पुत्र स्व0 के0एल0 मिश्रा

यह विक्रय विलेख पणू पुत्र लाला, निवासी-ग्राम-पुरसेनी,  
तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, 3090 (जिसे आगे इस  
विलेख में विक्रेता कहा गया है) के द्वारा टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स  
एलएलपी, कार्यालय पता-जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर-2, चाईना  
बाजार रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी सम्राट मिश्रा पुत्र स्व0  
के0एल0 मिश्रा, (जिसे आगे इस विलेख में क्रेता कहा गया है) के  
पक्ष में निष्पादित किया गया है।

जो कि विक्रेता भूमि खाता संख्या-00148, खसरा  
संख्या-990 रकबा-0.629 हेक्टेयर, खाता संख्या-00146 खसरा  
संख्या-1070 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खाता संख्या-00145

Times Infodevelopers LLP

442



Authorised Signatory

Contd.....



(4)


खसरा संख्या-1186मि. रकबा 0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या-00147 खसरा संख्या-1076 रकबा 0.176 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.163 हेक्टेयर व खाता संख्या-00258 खसरा संख्या-1118 रकबा 0.690 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.1725 हेक्टेयर, कुल पांच किता कुल रकबा-1.2575 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज हैं, उक्त भूमि को विक्रेता ने मोहित पुत्र वेद प्रकाश से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 03.11.2015 को क्रय किया था, जो उपनिबन्धक-मोहनलालगंज, लखनऊ के कार्यालय अभिलेखों में बही संख्या-1 जिल्द संख्या-6175 के पृष्ठ संख्या-175 से 190 पर क्रमांक-19320 पर दिनांक 03.11.2015 को पंजीकृत है और जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

विदित हो कि विक्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसलिए विक्रेता ने उक्त भूमि क्रेता को विक्रय करने हेतु न्यायालय जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी आदेश वाद सं०-08366/2019, कम्प्यूटरीकृत सं०-डी201910460008366 दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ली है।

जो विक्रेता के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजूद है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। इसलिए विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के पूर्ण होशो हवास में अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त भूमि नम्बरी व पैमायशी को बकीमत मु० रूपया-1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया-50,00,000/- (पचास लाख रूपया मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेता उपरोक्त के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या विक्रेता के किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य

449

Times InfraDevelopers LLP

 Contd.....  
Authorised Signatory



के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व विक्रेता के वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई मुकाम उज्र का न होगा। आज की तारीख से क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रीत भूमि को समस्त राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 0-200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण, आबादी/आवासीय गतिविधियां विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़, कुआँ, बोरिंग आदि नहीं है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं क्रेता अनुसूचित जाति से भिन्न जाति का है।

विक्रीत भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र के परगना-मोहनलालगंज, के ग्राम-मस्तेमऊ की है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.2575 हेक्टेयर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार सरकारी मूल्य रूपया 72,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग या सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिंग रूपया-90,54,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/

५८५

Times InfraDevelopers LLP

  
Authorized Signatory

Contd.....

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



(6)

11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया-7,00,000/- का स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र सं०-IN-UP06191569241066R दिनांक 11.06.2019, के माध्यम से अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बच पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है। प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता एवं क्रेता के बताये गये तथ्यों एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता एवं क्रेता की होगी। टाईपकर्ता एवं मसविदाकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामें का निष्पादन किया।

#### विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता संख्या-00148, खसरा संख्या-990 रकबा-0.629 हेक्टेयर, खाता संख्या-00146 खसरा संख्या-1070 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खाता संख्या-00145 खसरा संख्या-1186मि. रकबा 0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या-00147 खसरा संख्या-1076 रकबा 0.176 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.163 हेक्टेयर व खाता संख्या-00258 खसरा संख्या-1118 रकबा 0.690 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.1725 हेक्टेयर, कुल पांच किता कुल रकबा-1.2575 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

#### तफसील वसूलयाबी जरसमन

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से वर्ष 2015 में ही प्राप्त कर लिया है एवं क्रेता द्वारा उपरोक्त विक्रय मूल्य का

442

Times InfraDevelopers LLP



Authorized Signatory

Contd.....

आवेदन सं०: 201900822014952

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11585

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 10000000 स्टाम्प शुल्क- 700000 बाजारी मूल्य- 9054000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 20060

श्री टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी द्वारा  
सम्राट मिश्रा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री स्व० के०एल० मिश्रा  
व्यवसाय: वकालत


निवासी: जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर-2, चाईना बाजार रोड, लखनऊ।



श्री टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी द्वारा

सम्राट मिश्रा अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/06/2019 एवं  
02:30:32 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शारिणी अवस्थी  
उप निबंधक: मोहनलालगंज  
लखनऊ  
12/06/2019

अशोक कुमार गुप्ता  
निबंधक लिपिक

(7)

L.T. 194 (1)A के अन्तर्गत 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 भी अदा किया गया है, जो विक्रय मूल्य में समायोजित है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रेता से कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 11.06.2019

ह0 विक्रेता



( पप्पू )

पैन-BPPPP8556L



1. गवाह :

दिनेश कुमार

पुत्र श्री फेकूराम

पता-ग्राम-हरदीपुर, पोस्ट-सदर,  
जिला-जौनपुर, उ0प्र0

ह0 क्रेता

Times InfraDevelopers LLP




Authorized Signatory

(समाप्त मिश्रा)

अद्योहस्ताक्षरी

टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी

पैन-AAJFT6214L



2. गवाह :

संदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता

पुत्र श्री सी0आर0 सिंह

पता : कलेक्ट्रेट, लखनऊ

टाइपकर्ता



(अनिल बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता



(मुकेश मणि त्रिपाठी)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11585

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समाप्तने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1


श्री पप्पू, पुत्र श्री लाला

निवासी: ग्राम-पूरसेनी, तहसील-मोहनलालगंज, जिला-  
लखनऊ।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

पप्पू




श्री टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी के द्वारा सम्राट मिश्रा, पुत्र  
श्री स्व० के०एल० मिश्रा

निवासी: जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर-2, चाईना बाजार रोड,  
लखनऊ।

व्यवसाय: वकालत

[Signature]



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1


श्री दिनेश कुमार, पुत्र श्री फेकूराम

निवासी: ग्राम-हरदीपुर, पोस्ट-सदर, जिला-जौनपुर, उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

[Signature]




श्री संदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री सी०आर० सिंह

निवासी: कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

व्यवसाय: वकालत

[Signature]



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे-नियमानुसार लिए  
गए है।  
टिप्पणी:

[Signature]  
शारिणी अवस्थी  
उपनिबंधक: मोहनलालगंज  
लखनऊ

अशोक कुमार गुप्ता  
निबंधक लिपिक

## सम्पत्ति का मानचित्र

भूमि खाता संख्या-00148, खसरा संख्या-990 रकबा-0.629 हेक्टेयर, खाता संख्या-00146 खसरा संख्या-1070 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खाता संख्या-00145 खसरा संख्या-1186मि. रकबा 0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या-00147 खसरा संख्या-1076 रकबा 0.176 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.163 हेक्टेयर व खाता संख्या-00258 खसरा संख्या-1118 रकबा 0.690 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.1725 हेक्टेयर, कुल पांच किता कुल रकबा-1.2575 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।



404

विक्रेता के हस्ताक्षर

Times Interdevelopers LLP

*(Handwritten Signature)*

क्रोता के हस्ताक्षर

Authorized Signatory

आवेदन सं०: 201900822014952

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10474 के पृष्ठ 17 से 32 तक क्रमांक  
11585 पर दिनांक 12/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवस्थी  
उपनिबंधक : मोहनलालगंज  
लखनऊ  
12/06/2019





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू

बनाम

सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सकिल रेट के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 90,54,000/- (नब्बे लाख चैत्वन हजार रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि ₹ 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि ₹ 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का ₹ 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ₹ 1,00,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614 हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1) ग व 30प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8) घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629 हे०, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040 हे०, गाटा संख्या 1186 मि रकबा 0.253 हे०, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176 हे० का भाग 0.163 हे० व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690 हे० का 1/4 भाग रकबा 0.1725 हे० कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी०एफ०-10, सिटी सेंटर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व / कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो







मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू

बनाम

सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश


आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आ०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि ₹ 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि ₹ 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का ₹ 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ₹ 1,00,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614 हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1) ग व 30प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8) घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629 हे०, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040 हे०, गाटा संख्या 1186 रकबा 0.253 हे०, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176 हे० का भाग 0.163 हे० व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690 हे० का 1/4 भाग रकबा 0.1725 हे० कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व / कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो







तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं प्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुशा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सकल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत लिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।


(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।



उपनिबंधक

प्रमाणित प्रतिलिपि

जीएफ सी

जिला अधिकारी/जिला जिलाधिकारी

लखनऊ

22/5/19

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू

बनाम

सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 90,54,000/- (नब्बे लाख चैत्वन हजार रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि ₹ 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि ₹ 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का ₹ 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ₹ 1,00,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614 हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1) ग व 30प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8) घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629 हे०, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040 हे०, गाटा संख्या 1186 मि रकबा 0.253 हे०, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176 हे० का भाग 0.163 हे० व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690 हे० का 1/4 भाग रकबा 0.1725 हे० कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200



तत्काल में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत शकिल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।



उपनिबंधक  
प्रमाणित प्रतिलिपि  
जिला अधिकारी/कलेक्टर  
लखनऊ  
22/5/19

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the process of gathering information from different sources, such as interviews, surveys, and document reviews. The text also discusses the importance of ensuring the accuracy and reliability of the data collected, and the need to use appropriate statistical techniques to analyze the results.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data analysis. It highlights the benefits of using software tools to automate data collection and analysis, and the importance of staying up-to-date with the latest technological advancements. The text also discusses the challenges associated with using technology, such as data security and privacy concerns, and the need to implement appropriate safeguards.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the data analysis process. It emphasizes that all steps of the process should be clearly documented and that the results should be made available to all relevant stakeholders. The text also discusses the need to establish clear lines of responsibility and to ensure that all participants in the process are held accountable for their actions.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation. It notes that data analysis is not a one-time activity, but rather a continuous process that requires regular review and updates. The text also discusses the need to establish a system for monitoring the quality of the data and the results of the analysis, and to take corrective action when necessary.



मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू

जनाम

सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश


श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 90,54,000/- (नब्बे लाख चैक्वन हजार रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि ₹ 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि ₹ 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का ₹ 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ₹ 1,00,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614 हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं 30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1) ग व 30प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8) घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629 हे०, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040 हे०, गाटा संख्या 1186 मि रकबा 0.253 हे०, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176 हे० का भाग 0.163 हे० व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690 हे० का 1/4 भाग रकबा 0.1725 हे० कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व / कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो







तत्काल में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं प्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सकल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।



प्रमाणित/प्रतिलिपि


जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर  
लखनऊ  
15.05.2019

(कौशल राज शर्मा)


जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019









तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत साकिल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ०प्र० राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व० लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।



तहसीलदार  
प्रमाणित प्रति लिखित

22/5/19

(कौशल राज शर्मा)

जिलाधिकारी/कलेक्टर,

लखनऊ।

15.05.2019

